फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :— अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

सुभाष बनाम उपखण्ड अधिकारी पावटा

केस संख्या :— 41 / 2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/3/2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी सुभाष पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी भाकरी तहसील पावटा जिला जयपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भूमि आवंटन अधिनियम आवंटन आदेश कमांक 47–51 दिनांक 25/10/2021 उपखण्ड अधिकारी पावटा के विरूद्व पेश किया है, जिसमें वर्णित किया है कि आराजी ख.नं. 1075/0.21 किस्म बारानी ए वाके मौजा भाकरी तहसील पावटा जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से अर्सा करीब सैकडों वर्षो से काबिज चला आ रहा है। ग्राम भाकरी में पहले से ही आगनबाडी केन्द्र का भवन मौजूद है जो सुविधानुसार बिना रोक टोक संचालित हो रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच प्रार्थी से राजनैतिक द्वेषता रखता है। इसलिए उक्त भूमि का आवंटन प्रस्ताव तैयार कर उक्त भूमि का आवंटित करा लिया गया है जो शुरू से ही प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व अवैध शून्य है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटन की गयी भूमि जिम्मन नम्बर 1 में वर्णित है का आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिरवारजन काफी लम्बे समय से धारा 91 एल.आर एक्ट के अधिन लगान की पैनल्टी समय समय पर जमा कराते आ रहे है आज भी मौके पर फसल खडी है। इसलिए आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14(4) अन्दर मियाद है। प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना–पत्त्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख.नं. 1075/0.21 किस्म बारानी ए वाके मौजा भाकरी तहसील पावटा में से 0.07 हैक्टर भूमि का आवंटन, आवंटन आदेश 47–51 दिनांक 25/10/2021 उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किया गया है उसे निरस्त फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1075/0.21 किस्म बारानी ए वाके मौजा भाकरी तहसील पावटा में स्थित है, जिसमें बुजुर्गान के समय से अर्सा करीब सैकडों वर्षो से काबिज चले आ रहे है। ग्राम भाकरी में आंगनबाडी केन्द्र पूर्व से सुविधानुसार संचालित हो रही है परन्तु सरपंच द्वारा द्वेष्तापूर्वक उक्त भूमि का आवंटन प्रस्ताव तैयार कर गैर कानूनी रूप से आवंटन आंगनबाडी के नाम करवा लिया जो शुरू से ही अवैध एवं शून्य है। उक्त आराजी बाबत प्रार्थी/परिवारजन लगातार धारा 91 एल.आर एक्ट की लगान राशि जमा कराते आ रहे है आज भी मौके पर फसल खडी है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा दिनांक 25/10/2021 को आवंटन आदेश जारी किये है उन्हें निरस्त फरमाया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश हुआ उसका अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के आदेश	

अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

क्रमांक 47-51 दिनांक 25/10/2021 को आ.ख.नं. 1075 रकबा 0.21 हैक्टर बारानी ए में से 0.07 हैक्टर नियम 1963 के तहत आंगनबाडी केन्द्र भाकरी तहसील पावटा को भवन निर्माण हेतु निशुल्क भूमि आवंटन की गयी है।

पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब के मुताबिक [illegible] रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पडत भूमि है। आवंटन चैक लिस्ट अनुसार पूर्व में आंगनबाडी केन्द्र को पूर्व में भूमि आवंटन नहीं हुयी है। उक्त प्रश्नगत भूमि 1075/0.21 किस्म बारानी ए मौजा भाकरी में वर्तमान जमाबंदी अनुसार सिवायचक भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 106 पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त ख.नं. में से 0.07 हैक्टर भूमि आंगनबाडी केन्द्र को आवंटन की गयी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।

चूँकि उपखण्ड अधिकारी के यहां ग्राम पंचायत से आंगनबाडी केन्द्र हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पूर्व में आंगनबाडी केन्द्र को भूमि आवंटन नहीं हुयी है। मौके पर भूमि पडक पडी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के संग भाकरी में आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार से निर्धारित चैक लिस्ट में भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र भाकरी तहसील पावटा को भूमि निशुल्क आवंटन की गयी है, जो नियम विरूद्व नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात् एवं सबूत पेश नहीं किये जिससे उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रही हो। इसलिए प्रार्थी का यह तर्क गलत है कि मौके पर फसल खडी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा आंगनबाडी केन्द्र भाकरी को आवंटन की गयी भूमि के आदेश यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)